न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कंचन राठौड़, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 16/2022
जीसीएमएस नं. :– 2022/24

प्रार्थीगण :–
1. हड़मानसिंह पुत्र भीवसिंह
2. राजूसिंह पुत्र भीकसिंह
3. रामसिंह पुत्र भंवरसिंह
4. लक्ष्मणसिंह पुत्र भंवरसिंह
5. विजयसिंह पुत्र भंवरसिंह
6. विनोदकंवर पुत्री भंवरसिंह
7. सवाईसिंह पुत्र भंवरसिंह
8. हरीसिंह पुत्र भीवसिंह
9. छेलुकंवर पत्नि भंवरसिंह
10. छोटूसिंह पुत्र भीवसिंह
11. पारसकंवर पुत्री भंवरसिंह
12. बजरंगसिंह पुत्र भीवसिंह
13. बुधसिंह पुत्र भीवसिंह
14. मनफूलकंवर पुत्री भंवरसिंह
15. महेन्द्रसिंह पुत्र भीकसिंह
16. महेन्द्रसिंह पुत्र भीवसिंह

सभी जातियान राजपूत निवासीयान खांगटा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–
सरकार जरिये तहसीलदार
पीपाड़ शहर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :
श्री गोविन्दसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण।
तहसीलदार पीपाड़ शहर, सरकारी पैरोकार।

दर्ज तारीख :– 14.02.2022

आदेश

दिनांक : 20.09.2023

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:– ग्राम खांगटा की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 1152 रकबा 3.2198 हैक्टयर किस्म बारानी चतुर्थ आयी हुई हैं। जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। ग्राम खांगटा की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 115 रकबा 1.9497 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय आयी हुई हैं। जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। प्रार्थीगण की उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1152 व खसरा नम्बर 115 के चारो तरफ पीढियो से वक्त सेटलमेन्ट के समय से चारो मरफ माटे कायम हैं। खसरा नम्बर 1152 व 115 की सीमाएं सुरक्षित हो जिसके लिए प्रार्थीगण ने अपनी वादग्रस्त आराजी का नाप चौप

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

कर सीमांकन करने बाबत् अप्रार्थी से निवेदन किया तथा प्रार्थीगण ने कृषि भूमि पैमाईश हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 10.01.2022 को अप्रार्थी के कार्यालय में प्रस्तुत किया तथा प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी के पैमाइश हेतु नियमानुसार शुल्क जमा करवाने हेतु तैयार है लेकिन अप्रार्थी प्रार्थी की कोई सुनवाई नही की तथा प्रार्थीगण के वादग्रस्त आराजी का नाप चौप कर पैमाईश नही किया। प्रार्थीगण अपनी उक्त वादग्रस्त आराजी की सीमाएं सुरक्षित रहे इसलिए प्रार्थीगण अपनी उक्त वादग्रस्त आराजी का नाम चौप कर सीमांकन करवाकर चारो तरफ पत्थरगड्डी करवाना चाहता है जिसके लिए प्रार्थी अपनी ओर से मुटाम/पत्थरशीला उपलब्ध करवाने को तैयार हैं। प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी का नाप चौप कर पैमाईश हेतु अप्रार्थी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिनांक 10.01.2022 को प्रस्तुत करने के बावजुद प्रार्थीगण की वादग्रस्त आरजी का नाप चौप नही किया गया तथा पत्थरगड्डी हेतु श्रीमान न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु हिदायत दी गयी इसलिए प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र अपनी वादग्रस्त आराजी का नाप चौप कर सीमांकन करवाकर पत्थरगड्डी हेतु श्रीमान न्यायालय हाजा में पेश करना पड रहा हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि ग्राम खांगटा की राजस्व सीमा में स्थित प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी खसरानम्बर 1152 व 115 का नाप चौप करवाया जाकर सीमांकन करवाकर उक्त दोनो खसरान के चारो तरफ पत्थरगड्डी करवायी जाने का आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

हमने बहस पक्षकारान सुनी गयी जिसमें वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम खांगटा की राजस्व सीमा में स्थित प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी खसरानम्बर 1152 व 115 का नाप चौप करवाया जाकर सीमांकन करवाकर उक्त दोनो खसरान के चारो तरफ पत्थरगड्डी करवायी जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर यह प्रतीत होता हे कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आरजी का नापचौप करवाकर पत्थरगढी करवाई जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम खांगटा के खसरा नम्बर 1152 व 115 भूमि का टीम गठित कर नापचौप एवं सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान के सीमा कायम करते हुए पैमाईश करवाकर पत्थरगढ़ी करावें।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें। तहरीर जारी हो, बाद पैमाईश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी,
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 20.09.2023 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर